

दूरभाष/Telephone: 0484-2390404

Fax:0484-2390608 e-mail- cexcochi@nic.in

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय/MINISTRY OF FINANCE,राजस्व विभाग/DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE,CUSTOMS & SERVICE TAX कोचिन आयुक्तालय COCHIN COMMISSIONERATE

केन्द्रीय राजस्व भवन C.R.BUILDING, आई.एस.प्रेस रोड I.S.PRESS ROAD: कोचिन COCHIN-18 सी.सं./C.No.IV/16/04/2014.Tech तारीख/ Dated:/9.08.2014

व्यापार सूचना /TRADE NOTICE NO: 55 /2014

विषय :सूचना अधिकार अधिनियम, 2005- प्रथम अपील अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित.


Sub:- Right to Information Act, 2005-Appointment of 1st Appellate Authority & CP10 - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता इसके साथ सूचित किया जाता है कि श्री के.सी.जोणी,अपर आयुक्त को कु.जे.करपगम, संयुक्त आयुक्त (का. व सत.) के स्थान पर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है एवं श्री वी.पष्णियांडी, उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर को श्री डी.वी. कुलकर्णी, उप आयुक्त के स्थान पर एवं श्री बिजु थॉमस, उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, सेवा कर मण्डल को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण्ण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that Shri. K.C. Johny, Additional Commissioner in place of Ms.J. Karpagam, Joint Commissioner (P&V) has been designated as First Appellate Authority and Shri.V.Pazhaniyandi, Deputy Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Central Excise Hqrs. in place of Shri D.V.Kulkarni, Deputy Commissioner (Retd.) & Shri.Biju Thomas, Deputy Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Service Tax Division has been designated as Central Public Information Officer (CP10) for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act, 2005.

क्र.सं./ SI.No.	नाम व पदनाम/Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction विभाजन/Division	क्षेत्र/Area	सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the CP1O
1	के.सी.जोणी,अपर आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी/ Shri.K.C. Johny, Addl. Commissioner & 1 st Appellate Authority	कोचिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय / Cochin Central Excise Commissionerate	जैसा व्यापार सूचना सं.21/2014 दिनांक:06.02.2014 के अनुबंध -I में उल्लिखित है/As mentioned in Annexure I of Trade Notice No.21/2014 dated 06.02.2014	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई. एस.प्रेस.रोड: कोचिन-682018/ Central Excise. Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email:cexcochi@excise.nic.in

, ² 8	वी.पषनियांडी, उप	केंद्रीय उत्पाद श्ल्क,	जैसा व्यापार सूचना	केंद्रीय उत्पाद श्ल्क, ना
आ सी. Sh	युक्त एवं .पी.आई.ओ./ ri.V.Pazhaniyandi, puty Commissioner &	सीमा शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, कोचिन /Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Cochin.	सं.21/2014 दिनांक:06.02 2014	शुल्क एवं सेवा कर मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई एस प्रेस रोड: कोचिन- 682018/ Central Excise, Customs & Service Tax Hqrs Office, Central Revenue Building, I. S. Press Road, Cochin - 682018. Phone: 0484-2390404. Fax: 0484-2390608. Email: cexcochi@excise.nic.in
आन सी. Shi De	,बिजु थॉमस,उप युक्त एवं पी.आई.ओ./ ri.Biju Thomas, puty Commissioner CPIO	सेवा कर मण्डल, एर्णाकुलम/ Service Tax Division, Ernakulam	सेवा कर मण्डल के लिए विनिर्दिष्ट सेवा कर से संबन्धित मामलों एवं मुद्दों के लिए कोचिन कापॉरेशन में शामिल क्षेत्र / The area comprised in Cochin Corporation for Service Tax related matters and issues specific to Service Tax Division	सेवा कर उप आयुक्त का कार्यालय 5वीं मंज़िल, सेंट्रल एक्साइज़ भवन, कत्रिक्कड़वु, कल्रूर,कोचिन 681017/ O/o. Deputy commissioner of Service Tax, 5 th Floor, Central Excise Bhavan, Kathrukkadavu, Kaloor, Cochin-682017.



प्रति /Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As per Distribution List No.I, II & III.

स्चना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.

2: निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी -ब्लॉक, आई पी एसटेट,नई दिल्ली The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P. Estate, New Delhi.

3. सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल सम्राट, नई दिल्ली The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद,सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,केलिकट एवं ट्रिवेनड्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को भेजें

The Commissioner, Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also

6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन

The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate, Cochin.

7. आयुक्त (अपील),कोचिन

The Commissioner (Appeals), Cochin.

8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates 9. सूचना पष्ट/Notice Board.